कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क. / 0012 / अ–82 / 2019–20 / 6267 श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू–अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर– श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम **भैरोपुरा** तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा **1.697** हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला –श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम **भैरोपुरा** प.ह.न **15** रा.नि. वृत **01** में उक्त परियोजना के लिये **1.697** हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है –

स.क.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे	हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	137	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.012	प्रभू, सुरेश, पुत्रगण बंशी समान भाग 2/5 दिनेश, रामसिंह, विजयसिंह, हक्की पुत्रगण श्यामू बर्फी, अनीता पुत्रीया श्यामू समान भाग 1/5 संतो, शान्ति, पुत्रिया बंशी समान भाग 2/5 जाति सहरिया निवासी ग्राम भूदान कृषक भू.रा. 5.50
2	150	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.046	चरत, भरत, पप्पू, नाबा. मेडू सर मां खुद,

कलक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)

					कैकईपुत्री मेडू, काशी बेवा मेडू, जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. वि.मु. 12.59
3	151	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.186	कल्ला पुत्र जगनू कल्लो, बूंदा पुत्रिया जगनू सगुनी बेवा जगनू जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 6.25
4	154	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.390	रमेश मोती पुत्रगण मलखे रामपती सोमो पुत्रीया मलखे दुल्लो बेवा मलखे जाति सहरिया नि. ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा.5.23
5	155	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.279	गोपाल पुत्र गयाजीत रामहेती बेवा ग्यातीत जाति सहरिया नि. ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 5.00
6	156	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.193	जानकी बेवा मनिका देवूराम रघुनंदन पुत्रगण मनिका रामनाथी पुत्री मनिका जाति सहरिया नि. ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 6.25
7	158	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.161	जानकी बेवा मनिका देवूराम रघुनंदन पुत्रगण मनिका रामनाथी पुत्री मनिका जाति सहरिया नि. ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 2.05
8	159	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.097	जानकी बेवा मनिका, देवूराम रघुनंदन पुत्रगण मनिका, रामनाथी पुत्री मनिका जाति सहरिया नि. ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 1.84
9	160	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.333	कल्ला पुत्र जगनू कल्लो, बूंदा पुत्रिया जगनू सगुनी बेवा जगनू जाति सहरिया निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा. 4.00
	योग			1.697	

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म. प्र.)

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।

विशेष– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू – अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थानः श्योपुर
तारीख 08/08/2019

न्यायालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी जिला श्योपुर (म.प्र.)

(बसंत कुर्रे)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क. /0012/अ–82/भू–अर्जन/2019–20 /1,2/8 श्योपुर दिनांक 08/08/2019

प्रतिलिपि–

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र मे अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम मे मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. श्योपुर की ओर कलेक्टर जिला श्योपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत बेवसाईड पर अपलोड हेतु ।

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)